



बी लिंगम् राजस्व दस्तावेज़ ६८१

२७-२-१८ नो ५५८७

ज्ञानी
१८

न्यायालयमीमान् राजस्व मण्डल बधा लियर केम्प कोर्ट, भौपाल ३५४५००५

२७-२-१८ PBR/क्रियानी/हाइकोर्ट/भौपा/२०१८/१७४७

११४ महेशचन्द्र गुप्ता पुत्र स्व० जमनाप्रसाद गुप्ता, उम् ७० वर्षी करीब

१२४ उमिला बाई पुत्री स्व० जमनाप्रसाद गुप्ता, उम् लगभग ६६ वर्षी

१३४ गीता गुप्ता पुत्री स्व० जमनाप्रसाद गुप्ता पत्नी श्री पुरुषोत्तम गुप्ता
उम् करीब ६० वर्षी,

सभी निवासी- वार्ड क्र- १, पुरानी इटारसी, तहसील इटारसी,

जिला- होशंगाबाद ३५४५००५

— पुनरीक्षा कर्तव्य

बनाम

१४४ संतोष कुमार गुप्ता पुत्र सालिगराम गुप्ता उम् ७० वर्षी

१२४ सतीश कुमार पुत्र स्व० सालिगराम, उम् लगभग ६३ वर्षी

१३४ शरदकुमार गुप्ता पुत्र स्व० सालिगराम गुप्ता, उम् ६० वर्षी

१४४ देवेन्द्र कुमार पुत्र स्व० सालिगराम, उम् लगभग ५३ वर्षी

१५४ चित्राबाई पुत्री स्व० सालिगराम पत्नी लक्ष्मीराम गुप्ता
उम् लगभग ६० वर्षी, निवासी- बंदुक वाले की दुकान,
गाजरपट्टी, रायगढ़, जिला- रायगढ़ ३५४८५००५

सभी निवासी
प्रभात नर्सरी,
पवा रखेड़ा, तहसील
व जिला
होशंगाबाद ३५४५००५

१६४ रेखाबाई पुत्री स्व० सालिगराम, उम् लगभग ५० वर्षी

निवासी- प्रभात नर्सरी, पवा रखेड़ा, तहसील व

जिला- होशंगाबाद ३५४५००५

१७४ प्रभावती गुप्ता पुत्री भग्नलाल गुप्ता, उम् लगभग ६७ वर्षी,

निवासी- गुप्ता पटाखा भडार के सामने, काण्डली रोड,

परतवाहा, तहसील अचलपुर, जिला- अमरावती ३५४८५००५ --- उत्तरवादी गण

पुनरीक्षा याचिका या चिका अंतर्गत धारा ५० म०प०भ०-राजस्व सीहता

पुनरीक्षा कर्तव्य की ओर से निम्न निवेदन है :-

१ अधिकारी --- २४

छ. उमिला गुप्ता गीता गुप्ता

ल.

C.Gupta


पुनरीक्षा

पुनरीक्षा कर्तगण अधिकारी संघालय अनुबिभागीय अधिकारी
राजस्थान इटारसी, जिला- होशंगाबाद मध्य के राजस्थ प्रकरण क्रमांक 63/
अ-27/वर्ष 2012-13 ग्राम कीरतपुर, जिसमें पद्मा र शारद्कुमार बहौल्लाल विनद्व
संतोष कुमार वगैरह में पारित आदेश दिनांक 17-1-2018 से क्षुब्धि एवं
दृष्टिं होकर निम्नलिखित आधारों पर यह अपील प्रस्तुत की है :-

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पऱ्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भूरा/2017/1747

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-10-18	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री संदीप दुबे तथा अनावेदक क्रमांक 1, 2, 4 लगायत 6 की ओर से श्री जी0डी0अग्रवाल अधिवक्ता एवं श्री अनावेदक क्रमांक 3 की ओर से श्री राजेश चौरे अधिवक्ता व अनावेदक क्रमांक 7 की ओर से श्री सतीश चौहान उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 27-12-2018 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों। उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p> मैट्रिक्यूलर मनोज गोयल</p> <p> अधिक्षम अध्यक्ष</p>	

